प्रेषक

शकील अहमद सिद्दीकी,
उप सचिव,
उ०प्र०शासन ।

सेवा में

सचिव/कार्यपालक अधिकारी
उ०प्र० राज्य हज समिति लखनऊ ।

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-4 **लखनऊ : दिनांक 31 मार्च, 2022**

विषय- वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्रान्तीय हज समिति को सहायता अनुदान सामान्य (गैर वेतन) वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में ।

महोदय

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-जी-।।/2043/एस०एच०सी०/2022, दिनांक 24.01.2022 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-231/2021, दिनांक 22 मार्च, 2021 में दी गयी व्यवस्थानुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्रान्तीय हज समिति को मद संख्या-20 सहायता अनुदान सामान्य (गैर वेतन) मद में प्राविधानित कुल धनराशि रू० 1,00,00,000/- (रू० एक करोड़ मात्र) के सापेक्ष प्रथम किश्त शासनादेश संख्या-11/2021/एस०एस०-30/52-4-2021 बजट(14)/2017, दिनांक 01-07-2021, रू० 25,00,000/- (रू० पच्चीस लाख मात्र), द्वितीय किश्त रू० 25,00,000/- (रू० पच्चीस लाख मात्र), शासनादेश संख्या-15/2021/एच०एस०-57/52-4-2021 बजट (14)/2017, दिनांक 02 नवम्बर, 2021 एवं तृतीय किश्त रू० 25,00,000/- (रू० पच्चीस लाख मात्र) शासनादेश संख्या-एच०एस०-08/52-4-2022-ई-1347332/2022, दिनांक 22.03.2022 निर्गत की गयी । उक्त प्राविधानित कुल धनराशि रू० 1,00,00,000/- (रू० एक करोड़ मात्र) में से अवशेष धनराशि रू० 25,00,000/- (रू० पच्चीस लाख मात्र) स्वीकृत करते हुए निम्नलिखित तालिका में अंकित विवरण के अनुसार अधोलिखित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(धनराशि रू० लाख में)

अनुदान संख्या/लेखा शीर्षक/मद का नाम	वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्राविधान	पूर्व में निर्गत धनराशि	अवमुक्त की जाने वाली धनराशि
अनुदान संख्या-48 लेखा शीर्षक-2250-अन्य सामाजिक सेवायें-800-अन्य-03-प्रान्तीय हज समिति को अनुदान-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)	100.00	75.00	25.00

(1) प्रस्ताव में आकड़ों की शुद्धता सुनिश्चित की जायेगी ।

(2) विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत बजट में प्राविधानित धनराशि का आवंटन एवं आवंटित/वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय के नियंत्रण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक 06 जून, 1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय ।

(3) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय की मितव्ययता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय । इसके साथ राजकीय धन व्यय करने में उत्तर प्रदेश के बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों की प्रति तथा वित्तीय औचित्त के मानकों (स्टैन्डर्डस ऑफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय ।

(4) जिन प्रकरणों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य समक्ष प्राविधाकारी की स्वीकृति

http://shasanadesh.up.gov.in

सचिव/कार्यपालक अधिकारी, उ०प्र० राज्य हज समिति, लखनऊ द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी।

(5) सचिव/कार्यपालक अधिकारी, उ०प्र० राज्य हज समिति, लखनऊ द्वारा बजट आवंटन में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाय कि आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जायेगा ।

(6) व्यय प्रबंधन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) धनराशि के आहरिण एवं व्यय के दौरान वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22-03-2021 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा ।

(8) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय अन्य किसी मदों में मदापि नहीं किया जायेगा। यदि किन्हीं अन्य मदों में उक्त धनराशि का व्यय किया जाता है तो इसे वित्तीय अनियमितता माना जायेगा । सचिव/कार्यपालक अधिकारी, उ०प्र० राज्य हज समिति, लखनऊ तथा आहरण एवं वितरण अधिकारी इस हेतु पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे ।

(9) उत स्वीकृत धनराशि का व्यय उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और फाइनेन्सियल हैण्डबुक के नियमों प्राविधानों के अनुसार नियन्त्रक अधिकारी के नियन्त्रण में किया जायेगा ।

(10) स्वीकृत धनराशि के व्यय का विवरण, उपयोगिता प्रमाण-पत्र यथा वित्तीय नियमों के अनुसार शासन/वित्त विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा ।

(11) उपरोक्त शर्तों एवं अनुबन्धों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जायेगा । विचलन की स्थिति में वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी, जिसके लिए सचिव/कार्यपालक अधिकारी, उ०प्र० राज्य हज समिति, लखनऊ तथा वित्त एवं लेखाधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, उ०प्र० लखनऊ उत्तरदायी होंगे ।

2- उपर्युक्त मद पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के अनुदान संख्या-48 के लेखा शीर्षक- 2250-अन्य सामाजिक सेवायें-800-अन्य-03-प्रान्तीय हज समिति को अनुदान-20-सहायता अनुदान सामान्य (गैर वेतन) के नामें डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-4-3534/दस-2022, दिनांक 29.03.2022 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किया जा रहा है ।

भवदीय

(शकील अहमद सिद्दीकी)
उप सचिव।

संख्या-**1/2022** (1) /52-4-2022 तद् दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार(लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ०प्र० प्रयागराज ।
2. महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ०प्र० प्रयागराज ।
3. निदेशक अल्पसंख्यक कल्याण उ०प्र० लखनऊ ।
4. निदेशक स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग उ0प्र0प्रयागराज।
5. मुख्य कोषाधिकारी, आदर्श कोषागार कलेक्ट्रेट कैसरबाग, लखनऊ ।
6. मुख्य कोषाधिकारी जवाहर भवन लखनऊ।
8. वित्त एवं लेखाधिकारी अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय उ०प्र०लखनऊ।
9. वित्त (व्यय-नियंत्रण)अनुभाग-4/अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-1, उ०प्र० शासन ।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शकील अहमद सिद्दीकी)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in